निरीक्षण टिप्पणी

सत्यमेव जयते

कार्यालय का नामः— पटना कोषागार, पटना

निरीक्षण की तिथिः— 02.08.2013

निर्गत संख्याः— 7666/गो0,दि0—11.08.13

डॉ0 एन0 सरवण कुमार,भा0प्र0से0
जिलाधिकारी,पटना।

डॉ0 एन0 सरवण कुमार,भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा दिनांक 02.08.2013 को पटना समाहरणालय कोषागार, पटना का किया गया निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी।

1. **परिचयः**— पटना जिला कोषागार को समाहरणालय कोषागार के रूप में जाना जाता है। इस कोषागार के अधीन 335 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आते हैं। समाहरणालय एवं जिला प्रशासन से संबंधित सभी जिला स्तरीय कार्यालय यथा— वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सिविल सर्जन कार्यालय, जिला कृषि कार्यालय आदि आते हैं एवं पटना सदर अनुमंडल के अधीन सम्पतचक, फुलवारीशरीफ एवं पटना सदर का प्रखंड/अंचल, बाल विकास परियोजना कार्यालय आदि सभी कार्यालय आते हैं। इसके अतिरिक्त आयुक्त, पटना का कार्यालय, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी इस कोषागार से सम्बद्ध है। इस कोषागार को सम्पूर्ण देश के सबसे बड़े कोषागारों में एक कोषागार माना जाता है।

इस कोषागार की स्थापना वर्ष की जानकारी कोषागार पदाधिकारी को भी नहीं है। कार्यालय में उपलब्ध संधारित उत्तराधिकार—पट्ट में वर्ष 1986 से पदास्थापित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत है—

क्रमांक	पदाधिकारी के नाम	पदस्थापन अवधि
1.	श्री श्याम नन्दन प्रसाद	09.01.1986 से 23.12.1988
2.	श्री विश्वनाथ प्रसाद	24.12.1988 से 09.07.1991
3.	श्री सहदेव साहु	10.07.1991 से 19.01.1994
4.	श्री रवीन्द्र किशोर	20.01.1994 से 04.03.1994
5.	श्री विनोदानन्द झा	05.03.1994 से 14.03.1997
6.	श्री डा0 शंकर साव	15.04.1997 से 25.03.1999
7.	श्री गुलाम रसूल नट	26.03.1999 से 16.01.2002
8.	श्री धीरजू हजाम	17.01.2002 से 15.09.2003
9.	श्री मार्कण्डेय ओझा	16.09.2003 से 17.10.2003
10.	श्री अजय कुमार	18.10.2003 से 27.08.2007
11	श्री वरूण कुमार सिकदार	18.08.2007 से 12.07.2011
12	श्री राजेश कुमार	12.07.2011 से

वर्त्तमान में पदस्थापित सहायक कोषागार पदाधिकारीः—

क्रमांक	पदाधिकारी के नाम	पदस्थापन अवधि
1.	श्री शशि कान्त आर्य	06.08.2011 से
2.	श्रीमती शोभावती कुमारी	09.07.2011 से

कोषागार पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि स्थापना वर्ष एवं स्थापना वर्ष से अबतक पदास्थापित पदाधिकारियों की जानकारी वित्त विभाग एवं अन्य स्रोत से प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें एवं कार्यालय में भी संधारित करना सुनिश्चित करें। इस कार्य को एक माह के अन्दर सुनिश्चित करने हेतु उपस्थित कोषागार पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

(2) पूर्व निरीक्षण— इस कोषागार से संबंधित पूर्व निरीक्षण के संबंध में कोई भी जानकारी कोषागार पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे संबंधित कागजात भी कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने की बात कही गयी। इस संबंध में वर्ष 1980 से इस कार्यालय में पदस्थापित पटना समाहरणालय